



# कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

## आदेश

क्रमांक 9234 / PMAY-G / स्था. / जिपं / 2017-18

राजनांदगांव दिनांक 03/07/2017

संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकास आयुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/574/वि-6/प्रमआयो(ग्रा.)/2017 दिनांक 01.07.2017 के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर तकनीकी सहायक के पद हेतु महात्मा गांधी नरेगा के प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित उम्मीदवार को दिनांक 31.03.2018 तक के लिए उनके नाम के सम्मुख लिखे पदस्थापना स्थल पर संविदा नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है।

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1	श्रीराज सिंह राजपूत	श्री भोजरा सिंह राजपूत	भगत सिंह चौक, बार्ड नं. 19 डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव छ.ग.	अनारक्षित मुक्त	जनपद पंचायत छुईखदान
2	युगांक बाटवे	श्री संजीव बाटवे	शाकुन्तल तिलक नगर बृहस्पति बाजार के पास बिलासपुर छ.ग.	अनारक्षित मुक्त	जनपद पंचायत अ.चौकी
3	पुरुषोत्तम	श्री सनित कुमार	ग्राम हथरा,पो. दिगवाडी, तह-मानपुर जिला राजनांदगांव छ.ग.	अजजा महिला के विरुद्ध	जनपद पंचायत डोंगरगढ़
4	नेहा सहारे	श्री लखन लाल सहारे	भीमनगर कालकापारा बार्ड नं. 09 डोंगरगढ जिला राजनांदगांव छ.ग.	अजा मुक्त	जनपद पंचायत मानपुर

प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति हेतु आरक्षण नियम का पालन किया गया है।

### नियम एवं शर्तें :-

1. संविदा पर प्रतिमाह रू. 23010.00 एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी।
2. संविदा नियुक्ति 31.03.2018 तक के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढ़ाई जावेगी।
3. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है।
4. संविदा अवधि में 18 दिनों के अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते हैं, तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।


Website :- [www.zprajnandgaon.gov.in](http://www.zprajnandgaon.gov.in), Email :- [zp-rjn.cg@nic.in](mailto:zp-rjn.cg@nic.in)  
Phone No. (07744) 224060, 226495 Fax :- (07744) 224140



## कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

(2)


10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क./एफ-9-1/2012/1-3, रायपुर, दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत राजनांदगांव(छ.ग.)  
राजनांदगांव दिनांक 03/10/2017

पृ. क्रमांक 9235 /PMAY-G/स्था./जिपं/2017-18

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 2 संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकास आयुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 3 कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ।
- 4 उप संचालक, (पंचायत), राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5 स्टेनो-टू, सीईओ, जिला पंचायत राजनांदगांव को सूचनार्थ।
- 6 मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मेकाहारा जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं शारीरिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने बाबत।
- 7 सहायक परियोजना अधिकारी, नरेगा जिला पंचायत राजनांदगांव को सूचनार्थ।
- 8 सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कु.....  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। दिनांक 10.10.2017 तक आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित जिला पंचायत राजनांदगांव में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)